कार्यालय, उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति खण्डपीठ ग्वालियर (म.प्र.)
(E-Mail Id- laohcgwalior@gmail.com)

दिनांक 13 मई 2023 को मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय खण्डपीठ–ग्वालियर में नेशनल लोक अदालत का आयोजन

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के निर्देशानुसार एवं माननीय न्यायमूर्ति श्री रोहित आर्या, प्रशासनिक न्यायाधिपति/को–चेयरमेन, उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, ग्वालियर के मार्गदर्शन में दिनांक 13 मई, 2023 (शनिवार) को म0प्र0 उच्च न्यायालय खण्डपीठ–ग्वालियर में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है।

उक्त नेशनल लोक अदालत में माननीय न्यायालय के समक्ष विचाराधीन राजीनामा योग्य आपराधिक प्रकरण, निगोशिएबल इंस्टूमेंट एक्ट के अंतर्गत चैक बाउन्स प्रकरण, बैंक वसूली, मोटर दुर्घटना क्लेम अपील, श्रम प्रकरण, विद्युत एवं जल बिल, वैवाहिक प्रकरण, भू–अधिग्रहण, सर्विस व सेवानिवृत्ति स्वत्व भुगतान संबंधी रिट पिटीशन, सिविल प्रकरण एवं राजस्व प्रकरण सहित अन्य राजीनामा योग्य प्रकरणों का निराकरण पक्षकारों की आपसी सहमति से किया जायेगा।

अतः जो पक्षकारगण माननीय उच्च न्यायालय, खण्डपीठ ग्वालियर के समक्ष विचाराधीन अपने प्रकरणों का निराकरण उक्त नेशनल लोक अदालत के माध्यम से कराना चाहते हैं, वह अपनी सहमति स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, ग्वालियर के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते हैं, तथा साथ ही ऐसे अधिवक्ता एवं पक्षकारगण, जो अपना प्रकरण स्वेच्छा से वापस लेना चाहते हैं, वे यथाशीघ्र प्रकरणों की सूची इस कार्यालय को अथवा कार्यालयीन ई–मेल के माध्यम से भेजने का कष्ट करें ।

पक्षकारगण से यह अपील की जाती है कि उक्त लोक अदालत में राजीनामा के आधार पर अपने प्रकरणों का निराकरण करवाकर नेशनल लोक अदालत का लाभ उठावें।

(अखिलेश कुमार मिश्र)
प्रिंसिपल रजिस्ट्रार/सचिव
11 APR 2023